मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

ब्लाक–1, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

(मुख्य कार्यालय– 59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल)

फोन 0755–2559314, 2551487–87 फैक्स 2550094

क्रमांक / 3110 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2012 भोपाल, दिनांक: 21/03/2012

प्रति,

- **समस्त कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
- **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.**
- **समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म.प्र.**

विषय: पूर्व से पत्थर आदि के खरन्जों पर सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण।

संदर्भ: म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद का पत्र कमांक 1785 / MGNREGS-MP/NR-3/SE-I /2012 भोपाल, दिनांक: 17.02.2012

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके साथ सीमेंट कांकीट की आंतरिक सड़कें बनाने के लिए सावधानियां एवं मार्गदर्शी दिशा निर्देश भेजे गए हैं। कुछ ग्रामों में पत्थर के खरंजे की आंतरिक सड़कें पूर्व से स्थित हैं, ऐसी सड़कों पर सीमेंट कांक्रीट की आंतरिक सड़के बनाये जाने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जाये:

1 यदि पत्थर के खरंजे अच्छी स्थिति में हैं, तो उन पर सीमेंट कांक्रीट सड़कें बनाया जाना न तो आवश्यक होगा न ही उचित।

2 यदि पत्थर के खरंजे थोड़े बहुत ऊबड़ खाबड़ हो गये हैं, परन्तु उनका आधार मजबूत हैं तो पत्थरों को उखाड़े बिना सीमेंट कांक्रीट की सड़क उन पर बनायी जा सकती है। परन्तु यह सावधानी रखी जावे कि एम–15 कांक्रीट के नीचे एम–10 कांक्रीट की परत तब बिछाया जाना प्रस्तावित किया जाए, जब आधार कमजोर हो। सहायक यंत्री / कार्यपालन यंत्री स्थल निरीक्षण कर इस पर निर्णय ले सकते हैं।

3 यदि पत्थर के खरंजे ऊबड़ खाबड़ हो गये हैं, तो उनको निकालकर प्रावधान अनुसार उचित आधार बनाते हुये ही सीमेंट कांक्रीट की आंतरिक सड़क का निर्माण किया जाये। खरंजों से निकाले गए पत्थरों का उचित लेखा–जोखा रखा जावे।

4 सभी प्रकरणों में यह ध्यान रखा जाये कि सीमेंट कांक्रीट सड़क का तल ऐसा न हो कि घरों में पानी घुसने लगे। सामान्यतः सीमेंट कांक्रीट सड़क का तल सड़क के बाजू में स्थित मकानों की कुर्सी से नीचे होना चाहिये।

स्थल की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य तकनीकी निर्णय भी कार्यपालन यंत्रियों द्वारा ही लिए जावें। अनुरोध है कि तदनुसार निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

(प्रभाकान्त कटारे)
मुख्य अभियंता
म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृ.क्रमांक / 3111 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2012 भोपाल, दिनांकः 21/03/2012

प्रतिलिपिः—

1. संभागायुक्त समस्त म.प्र.।
2. आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, पूर्व/पश्चिम, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
5. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल समस्त, म.प्र.।

मुख्य अभियंता
म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल